बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78/2020..1559.. पटना, दिनांक 28/6/2022

# आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 142 दिनांक 11.02.2022 द्वारा श्री परमजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (आई0डी0 सं0 AEN03972) के विरूद्ध रैयतों से किस्तवार एवं वरीय पदाधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली करने एवं विशेष सर्वेक्षण कार्यो में दलालो की मदद से रैयतों को धमकाने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए सेवा मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 403 दिनांक 23.02.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के संबंध में 03 (तीन) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी से निदेशालय पत्रांक 682 दिनांक 17.03.2022 द्वारा मंतव्य की माँग की गई।

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने पत्रांक 402 दिनांक 29.04.2022 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में अपना मंतव्य निदेशालय को भेजा गया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में अंकित किया गया है कि श्री कुमार के द्वारा सर्वेक्षण कार्यो के लिए रैयतों से अवैध वसूली करने, दलालों के साथ मिलकर रैयतों को धमकाने, वरीय पदाधिकारियों के नाम पर रैयतों से पैसे की उगाही करने एवं किस्तवार प्रक्रिया में नक्शा एवं फील्डबुक के साथ मनमानी करते है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी सीतामढ़ी के पत्रांक 142 दिनांक 11.02.2022 के द्वारा प्रेषित अनुशंसा तदनुसार आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण पर पुनः बन्दोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचिका में रक्षित सभी अभिलेख एवं साक्ष्य/प्रदर्श का अवलोकन किया गया है।

अवलोकनोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा किया गया कृत्य विभाग के स्वच्छ छवि के प्रतिकूल है। साथ ही साथ आम् जनमानस में सरकार की छवि धुमिल करने का कार्य किया गया है। अतः इस तरह के कृत्य की पुनरावृति अन्य कर्मियों द्वारा न की जाय के दृष्टिगत इनका स्पष्टीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त अनुशंसा एवं मंतव्य के आलोक में **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम– 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री परमजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (आई0डी0 सं0 AEN03972) का संविदा अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 27/6/22
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक** :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78/2020..1559.. **पटना, दिनांक** :– 28/6/2022

**प्रतिलिपि** :– श्री परमजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (आई0डी0 सं0 AEN03972) ई–मेल आई0डी0 – Jeparamjitkumar8318@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 27/6/22

**ज्ञापांक** :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–78/2020..1559.. **पटना, दिनांक** :– 28/6/2022

**प्रतिलिपि** :– बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 142 दिनांक 11.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आरोपित के संदर्भ में यह भी आदेश दिया जाता है कि इनके विरूद्ध प्राप्त अन्य परिवाद में कोई ऐसा तथ्य सामने आता हो जिससे यह प्रमाणित हो कि आरोपित द्वारा क्षेत्र में निदेशालय के पदाधिकारियों के नाम पर पैसा की वसुली की जा रही हो तो इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में नियमसंगत धाराओं के अन्तर्गत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 27/6/22

**ज्ञापांक** :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)-78/2020/1559 **पटना, दिनांक** :- 28/6/2022

**प्रतिलिपि** :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**निदेशक**
भू-अभिलेख एवं परिमाप
27/6/22